

**हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण
सार्वजनिक सूचना**

क्योंकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के तहत राज्य में जल संसाधनों (भूजल और सतही जल) के संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन एवं प्रासंगिक मानदंडों के आधार पर राज्य को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने की सिफारिश करने के लिए एक जनादेश के साथ हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की स्थापना की है।

क्योंकि सरकार ने हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11(2) के तहत, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की सिफारिश पर हरियाणा राज्य को भूजल स्तर की स्थिति के आधार पर 07 (सात) विभिन्न श्रेणियों में गांव अनुसार वर्गीकरण को मंजूरी दी है जो निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	श्रेणीवार भूजलस्तर की गहराई (मीटर में)	श्रेणियां	रंग	गांवों की संख्या
1	(i) 30.01 से अधिक	गंभीर रूप से भूजल संकटग्रस्त गांव	लाल	1780
	(ii) 20.01 से 30.0	मध्यम भूजल संकटग्रस्त गांव	गुलाबी	1041
2	(iii) 10.01 से 20.0	संभावित भूजल संकटग्रस्त गांव	हल्का हरा	1807
	(iv) 5.01 से 10.0	संतोषजनक भूजल क्षमता वाले गांव	हरा	1261
3	(v) 3.01 से 5.0	सेमग्रस्त गांवों के लिए बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र)	पीला	592
4	(vi) 1.5-3.0	सेमग्रस्त गांव	बैंगनी	319


के.आर.ए.ए.

(vii)	1.5 से कम	गंभीर रूप से सेमग्रस्त गांव	नीला	85
	कुल			6885

यह वर्गीकरण जून, 2020 भूजलस्तर तालिका की गहराई की स्थिति पर आधारित है। यह सार्वजनिक सूचना अनुलग्नकों के साथ प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.hwraorg.in पर उपलब्ध है। अनुलग्नक- 'ए' व्यापकवर्गीकरण के आधार को दर्शाता है। अनुलग्नक- 'बी' जून, 2020 तक भूजल स्तर के आधार पर गांवों के वर्गीकरण को इंगित करता है। अनुलग्नक- 'सी' जून 2010 से जून, 2020 तक भूजल स्तर तालिका में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। यह ग्राम स्तरीय वर्गीकरण आमजन में जागरूकता पैदा करने में सहायता करेगा और वर्तमान ब्लॉकस्तरीय वर्गीकरण को अपनाने के बजाय गांवों के भूजल प्रबंधन के संबंध में नीतियों की सूक्ष्म स्तरीय योजना और उपचारात्मक कार्रवाई में उपयोगी होगा।

इसलिए, अधिनियम की धारा 11 के तहत, इस सार्वजनिक सूचना को प्रकाशित किया जाता है और नीतिगत निर्णय लेने और उपचारात्मक और अन्य उपाय करने के लिए वर्गीकरण को प्रभावी रूप से लागू करने से पहले हरियाणा राज्य में जनहित में आम जनता को यदि कोई सुझाव / आपत्तियां, हो तो, मांगी जाती हैं।

जून, 2020 तक ग्राम स्तरीय भूजल स्तर तालिका के वर्गीकरण से संबंधित सुझाव / आपत्तियां इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने के 30 दिनों की अवधि में ई-मेल आई0डी0 objections2022.hwra@gmail.com पर भेजी जा सकती हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी भी सुझाव / आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।


 अध्यक्ष,
 हरियाणा जल संसाधनप्राधिकरण
 7/1/2022